संख्या: 90/2023/1243/छप्पन-2022-33/10

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 06 सितम्बर, 2023

विषय : जनपद फर्रुखाबाद स्थित हवाई पट्टी के रनवे-27 की ओर स्थित हाई टेंशन लाईन तथा 09 की ओर के मोबाइल टावरों को हटाए जाने हेतु हवाई पट्टी का ओ0एल0एस0 सर्वे कराए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-135/ना0उ0नि0/2023 दिनांक 23 अगस्त, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद फर्रूखाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी का ओ0एल0एस0 सर्वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराए जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-34/2023/358/छप्पन-2023-01 (सा0)/2023 दिनांक 21 मार्च, 2023 द्वारा उ0प्र0 राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति-2023" निर्धारित की गयी है। उक्त नीति के क्रियान्वयन के निमित्त राज्य सरकार की हवाई पट्टियों पर उड्डयन संबंधी प्रशिक्षण एवं सेवाएं संचालित करने के लिए इच्छुक संगठनों से ऑनलाइन प्रस्ताव Expression of Interest (Eol) के माध्यम से प्राप्त किए गए। कतिपय संगठनों द्वारा फर्रुखाबाद हवाई पट्टी के लिए भी प्रस्ताव दिया गया। Expression of Interest (Eol) की कार्यवाही के दौरान Pre-bid queries में किसी एक संगठन/ संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि फर्रुखाबाद हवाई पट्टी के रनवे 27 की ओर हाई टेंशन तार है जो हवाई पट्टी पर वायुयानों की लेण्डिंग व टेक ऑफ के लिए सुरक्षित नहीं है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा जांच आख्या प्रेषित की गई, जिसमें अवगत कराया गया कि रनवे-27 की ओर हाई टेंशन तार हेतु स्थापित टावर हवाई पट्टी की बाउण्ड्रीवाल के निकट हैं तथा 04 टावर फनल एरिया में हैं तथा रनवे-09 की ओर दो मोबाईल टावर हैं।

3- नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को अधिसूचित G.S.R.751 (E) में विहित व्यवस्था "Installation of extra high tension, high tension lines shall not be permitted within 1500 meters of the inner edge of the approach and takeoff climb surface." के दृष्टिगत निजी संस्था को हवाई पट्टी उपयोग हेतु दिए जाने से पूर्व सक्षम संस्था

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से हवाई पट्टी का OLS सर्वे कराए जाने तथा OLS सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार अवरोधों को हटाए जाने के निमित्त आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा किया गया है।

4- उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद फर्रुखाबाद स्थित हवाई पट्टी के रनवे-27 की ओर स्थित हाई टेंशन लाईन तथा 09 की ओर के मोबाइल टावरों को हटाए जाने हेतु हवाई पट्टी का ओ0एल0एस0 सर्वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

पृ0संख्या-90/2023/1243(1)/छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
2- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।